न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू, जिला जयपुर

बइजलास :- गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 07/2024

1. अनिसा पत्नी लियाकत अली जाति मुसलमान निवासी साखूल तहसील दूदू जिला जयपुर ।

(प्रार्थी / निगरानीकार)

बनाम

1. जुबैदा बानू पत्नी नजीर मोहम्मद शेख जाति मुसलमान निवासी साखून, तहसील दूदू ।
2. हफीज मोहम्मद शेख पुत्र हुसैन शेख जाति मुसलमान निवासी बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
3. सरपंच / सचिव ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत साखून, पंचायत समिति दूदू।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति दूदू ।

(अप्रार्थीगण / गैरनिगरानीकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व पट्टा संख्या -11 बुक संख्या 33, संकल्प संख्या 2 दिनांक 21.02.2012 की अनुपालना में 06.04.2012 ग्राम पंचायत साखून, पंचायत समिति दूदू, जिला जयपुर ।

1. श्री शेख अनवर अली, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ।
2. श्री मोहित कुमार सैन विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ।

निर्णय दिनांक :- 12.02.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत साखून, प.स. दूदू जिला जयपुर ने पट्टा संख्या 11, बुक संख्या 33, संकल्प संख्या 2 दिनांक 21.02.2012 की अनुपालना में दिनांक 06.04.2012 को गैर निगरानीकार संख्या जुबैदा बानू के पक्ष में पट्टा जारी किया है। निगरानी कर्ता का भूखण्ड वाके ग्राम साखून, तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है जिस पर निगरानीकर्ता अपने परिवार के साथ रहकर उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग कर रही है एवं उक्त भूखण्ड पर पुख्ता निर्माण कर रखा है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

निगरानीकर्ता के उक्त भूखण्ड की नाप व सीमायें निम्न प्रकार से है– उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण में हबीब शेख का बाडा, पूर्व दिशा में नजी का भूखण्ड, पश्चिम में भंवरलाल रैगर का बाडा स्थित है जिसकी नाप उत्तर की ओर 42 फीट, दक्षिण की ओर 44 फीट, पूर्व की ओर 54 फीट, पश्चिम की ओर 60 फीट है जिसके मध्य उक्त भूखण्ड स्थित है जिस पर निगरानीकर्ता का कब्जा है एवं निगरानीकर्ता उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग एवं देखरेख भी निगरानीकर्ता स्वयं ही कर रही है। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने झुठे तथ्यों के साथ गैरनिगरानीकार संख्या 3 के यहां पट्टे का आवेदन किया जिसमें गैर निगरानीकार संख्या 1 ने अपने आपको भूमिहीन होना बताया एवं कही पर भी अपना पुख्ता मकान होना नहीं बताया एवं उक्त भूखण्ड पर अपना 2003 से पूर्व का स्थायी कब्जा निर्माणशुदा होना बताया एवं अपने आपको निर्धन बताते हुये पट्टे बाबत् आवेदन किया। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने झूठे कथनों के आधार पर आवेदन किया जबकि गैरनिगरानीकार संख्या 1 के पति नजीर मोहम्मद रेल्वे विभाग में सरकारी नौकरी पर थे एवं उनका पूर्व में पुख्ता निर्माणशुदा मकान ग्राम साखून में स्थित है। बावजूद गैर निगरानीकार संख्या 3 से साजकर झूठे कथनों के आधार पर उक्त पट्टा फर्जकारी रूप से जारी करवा लिया जा निरस्तनीय है। गैर निगरानीकार संख्या 1 के पति नजीर मोहम्मद के नाम ग्राम पंचायत साखून द्वारा पूर्व में एक पट्टेशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी किया जो पट्टा संख्या 01 दिनांक 19.03.2012 को जारी किया उक्त कथनों को भी छुपाते हुये गैर निगरानीकार संख्या 01 ने अपने आपको परिवार सहित भूमिहीन होने के कथन दर्ज करते हुये गैर निगरानीकार संख्या 3 से सांठ गांठ करते हुये उक्त पट्टा जारी करवा लिया जबकि उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर गैरनिगरानीकार संख्या 1 का कभी कब्जा नहीं रहा है उक्त भूखण्ड पर निगरानीकार का कब्जा चला आ रहा है एवं निगरानीकार ही उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग कर रही है। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर उक्त पट्टे में वर्णित भूखण्ड को गैर निगरानीकार संख्या 2 को बेचान कर दिया जबकि उक्त जारीशुदा पट्टे की शर्त संख्या 3 के तहत निगरानीकार किसी भी व्यक्ति को उक्त भूखण्ड का अंतरण नहीं कर सकता फिर भी गैरनिगरानीकार ने निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा भूखण्ड पर निगरानीकर्ता को बेदखल करने की गरज से गैर निगरानीकार संख्या 2 को बेचान कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। गैरनिगरानीकार संख्या 1 व 2 उक्त गलत रूप से जारी पट्टे की आड में निगरानीकर्ता को उसके भूखण्ड से बेदखल करना चाहते है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है। दिनांक 10.03.2024 को गैरनिगरानीकार संख्या 2 5–7 अन्य व्यक्तियों के साथ निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा भूखण्ड पर आया और निगरानीकार को ऐलानियां धमकी दी कि उक्त भूखण्ड को मैंने गैरनिगरानीकार संख्या 1 से क्रय कर लिया है अब तुम उक्त भूखण्ड को खाली कर दो तब निगरानीकर्ता ने कहां कि उक्त भूखण्ड मेरा है गैरनिगरानीकार संख्या 1 को उक्त भूखण्ड बेचने का अधिकार नहीं है तब गैरनिगरानीकार संख्या 2 ने ईकरारनामा दिनांक 29.02.2024 की फोटो प्रति व पट्टा संख्या 11 दिनांक 06.04.2012 की फोटो प्रति निगरानीकार के मुहँ पर फेंककर कहा कि इन दस्तावेज को ध्यान से देख लाल उक्त भूखण्ड का पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम से है वह मैंने गैरनिगरानीकार संख्या 1 से 05 लाख रूपये में क्रय कर लिया है। अब तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि उक्त भूखण्ड पर हमें कब्जा सौंप दो नही तो हम लाठी के बल पर उक्त भूखण्ड पर जबरन कब्जा कर तुम्हें बेदखल कर देंगे एवं गैरनिगरानीकार संख्या 2 ने दस दिन में उक्त भूखण्ड को खाली करने की ऐलानियां धमकी दी। गैरनिगरानीकार संख्या 1 का पति नजीर मोहम्मद राजकीय सेवा में है एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 भूमाफिया है जिसकी आड में उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर जबरन निगरानीकर्ता के उक्त कब्जेशुदा भूखण्ड पर लाठी के बल पर कब्जा करने पर आमदा है जिनका गैरनिगरानीकार को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 10.3.2024 को गैरनिगरानीकार संख्या 2 द्वारा निगरानीकार के उक्त भूखण्ड

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

तथा जिसकी नाप 249.3 वर्गगज थी उक्त कथनों को गैर निगरानीकार संख्या 1 ने अपने जवाब के पैरा संख्या 6 में अपने पति नजीर मोहम्मद के नाम पूर्व में पट्टा जारी होना स्वीकार किया है जिससे स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार व उसका परिवार उक्त पट्टा संख्या 11 जारी होने से पूर्व भूमिहीन नहीं था जो धारा 157(2) का स्पष्ट उल्लंघन है प्रावधानों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। पैरा संख्या 11 की मद संख्या ख में यह अभिलिखित किया है कि निगरानीकार संख्या 1 ने अपने आप को गरीब एवं असहाय परिवार की बताते हुए अपने परिवार को गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने के कथन करते हुए उक्त पट्टा निःशुल्क धारा 157(2) के तहत जारी करवाया है। गैर निगरानीकार संख्या 1 का पति नजीर मोहम्मद भारतीय रेल विभाग में सरकारी नौकरी में पदस्थापित था जो आयकर दाता था उक्त कथनों को गैर निगरानीकार संख्या 1 ने अपने जवाब के पैरा संख्या 5 में स्वीकार भी किया है। गैर निगरानीकार संख्या 3 ने गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 11 जारी किया उक्त पट्टे के पैरा संख्या 2 में स्पष्ट लिखा है कि "यतः आवंटिती के परिवार के पास कही भी कोई घर या निवास स्थल नहीं है और पुर्वोत्तर भूमि पर 2003 तक अस्थाई मकान/कच्चा मकान संनिर्माण के रूप में आबादी भूमि है" परन्तु गैर निगरानीकार 1 के पति के नाम पूर्व में ग्राम पंचायत साखून ने 249 वर्गगज का पट्टा जारी किया है जिससे स्पष्ट है कि आवंटिती का परिवार भूमिहीन नहीं था। उक्त भूखण्ड को बिना कब्जे के फौरी तोर पर बेचान किया जिसकी ईकरारनामें की प्रति निगरानीकार ने अपनी निगरानी के साथ पेश की है उक्त कथनों को गैर निगरानीकार संख्या 1 ने अपने जवाब के पैरा संख्या 7 में स्वीकार भी किया गया है। माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.11.2016 उनवानी प्रकरण शांति देवी विश्नोई बनाम राजस्थान सरकार में यह निर्णय पारित किया गया है कि किसी व्यक्ति/आवंटिती के परिवार के पास कोई रहने हेतू जगह नहीं है एवं वह व उसका परिवार गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन कर रहा है एवं भूखण्ड पर 50 वर्ष से अधिक समय पर उसका व उसका परिवार निवास कर रहा है तो उसकी गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन को देखते हुए धारा 157(2) पंचायती राज अधिनियम के तहत पट्टा जारी किया जा सकता है उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता या आवंटिती झूठे कथन के आधार पर पट्टा जारी करवाता है तो वह पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगरानीकार संख्या 3 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11, बुक संख्या 33, संकल्प संख्या 2 दिनांक 21.02.2012 की अनुपालना में दिनांक 06.04.2012 को जारी पट्टा निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र के जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस समझी जाने का निवेदन किया। बहस मानने का निवेदन स्वीकार किया गया। गैर निगरानीकर्ता न अपने जवाब में अंकित किया है कि निगरानीकार कब्जे के आधार पर उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त करवाना चाहता है जिसका उसको कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। निगरानीकार ने उक्त निगरानी मियांद बाहर पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। निगरानीकार ने गैर निगरानीकार संख्या 1 को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त निगरानी पेश की है। अतः निगरानीकार की निगरानी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाई जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा निगरानी में कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेजात पेश करने में असफल रहे कि जिससे साबित हो कि किस प्रकार गैर निगरानीकार को जारी पट्टा गलत रूप से जारी किया गया है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 का

अतिरिक्त जिला [illegible]
दूदू

पर आकर फर्जी पट्टे एवं नुमायशी ईकरारनामा के आधार पर निगरानीकार को उक्त भूखण्ड खाली करने की धमकी देने एवं लाठी के बल पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने के कारण निगरानीकर्ता को उक्त निगरानी अविलंब पेश करना आवश्यक हुआ है जो अंदर मियाद है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैरनिगरानीकार संख्या 3 द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11, बुक संख्या 33, संकल्प संख्या 2 दिनांक 21.02.2012 की अनुपालना में जारी पट्टा दिनांक 06.04.2012 को निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत वाद अधीन भूखण्ड की नाप चौक व दिशायें, पट्टे हेतु आवेदन करना, उत्तरदाता के पति नजीर मोहम्मद का रेल्वे विभाग में सरकारी नौकरी में होना, नजीर मोहम्मद के नाम ग्राम पंचायत साखून के द्वारा एक भूखण्ड का पट्टा जारी किया है जो पट्टा संख्या 01 दिनांक 19.03.2012 है व उक्त भूखण्ड को जरिये ईकरारनामा दिनांक 29.02.2024 के द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 को बेचान करना स्वीकार है। शेष निगरानी में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अतिरिक्त कथन में गैरनिगरानीकार संख्या 1 ने निवेदन किया कि उत्तरदाता गरीब व निर्धन महीला है, निगरानीकार कब्जे के आधार पर उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त करवाना चाहता है जिसका उसको कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। निगरानीकार ने उक्त निगरानी मियांद बाहर पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। निगरानीकार ने गैर निगरानीकार संख्या 1 को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त निगरानी पेश की है। अतः जवाब निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाई जावें।

वकील प्रार्थी/ निगरानीकार ने अपनी लिखित बहस में बताया कि निगरानीकार संख्या 3 ने गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 06.04.2012 को पट्टा संख्या 11 संकल्प संख्या 2 द्वारा जारी किया गया जो पंचायती राज अधिनियम की धारा 157 (2) के तहत जारी किया गया उक्त पट्टा जारी करते वक्त गैर निगरानीकार संख्या 3 ने उक्त पट्टे के पैरा संख्या 2 में यह शर्त अभिलिखित करते करते हूए आवंटिती के परिवार के पास कहीं भी कोई घर या निवास स्थल नहीं है एवं उक्त पट्टे में शर्त संख्या 1 लगायत 9 में भी शर्त उल्लेखित किए एवं उक्त शर्तो के उल्लंघन पर पट्टा निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रखते हुए कहा कि अगर आवंटिती द्वारा कोई मिथ्या जानकारी दि जाती है तो उक्त पट्टा निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रखते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया है। धारा 157(2) पंचायती राज अधिनियम के तहत उन लोगों के पक्ष में पट्टे जारी किए जाते है जो असहाय एवं निर्धन है एवं गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन कर रहे है, परिवार के पास रहने के लिए कोई आवास स्थान नहीं है। भूखण्ड पर 50 वर्ष से अधिक समय से मकान बनाकर निवास कर रहे है। उक्तानुसार ही धारा 157(2) के तहत निःशुल्क पट्टा जारी किया जाता है। गैर निगरानीकार संख्या 3 ने उक्त शर्तो की पालना की है या नहीं कि है अगर उक्त तीनों शर्तो में से एक भी शर्त के तथ्य छुपाकर पट्टा प्राप्त किया जाता है तो वह पट्टा धारा 157(2) पंचायती राज अधिनियम के तहत जारी पट्टा कानून से विपरित होने से खारिज किए जाने योग्य है। निगरानीकार ने अपनी निगरानी के पैरा संख्या 11 के मद संख्या क में अभिलिखित किया है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 एवं उसका परिवार उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व भूमिहीन नहीं था गैर निगरानीकार संख्या 1 के पति नजीर मोहम्मद के नाम पूर्व में ग्राम पंचायत साखून द्वारा बुक संख्या 19 के पट्टा संख्या 1 संकल्प संख्या 08 दिनांक 06.02.2012 की अनुपालना में दिनांक 19.03.2012 को धारा 157(1) के अनुसार पट्टा जारी किया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

पट्टे की सीमा से बाहर यदि कोई अतिक्रमण पाया जावे तो उसके लिए ग्राम पंचायत साखून नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को जारी निगरानीधीन पट्टा में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही समझते है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1997 खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को दी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति० जिला कलक्टर
दूदू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू